

उत्तराखण्ड आयुष नीति 2018



उत्तराखण्ड राज्य



उत्तराखण्ड सरकार

1. प्रस्तावना

- 1.1 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (डब्लू0एच0ओ0) द्वारा औषधि के पारम्परिक एवं प्राचीन तंत्र की महत्ता के दृष्टिगत औषधि के प्रत्येक पारम्परिक तंत्र को विकसित करने हेतु योजना लागू की गई है।
- 1.2 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' की पहल के आधार पर भारतीय औषधी तंत्र एवं होम्योपैथी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्च 1995 में 'भारतीय औषधी प्रणाली एवं होम्योपैथी विभाग' (आई0एस0एम0 & एच0) की स्थापना की गई।
- 1.3 आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी तथा अन्य वैकल्पिक औषधि प्रणालियों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने करें। उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मार्च 2003 में आई0एस0एम0 & एच0 विभाग का नाम परिवर्तित कर आयुष विभाग एवं तदोपरान्त नवम्बर 2014 में उच्चीकृत कर आयुष मंत्रालय कर दिया गया।
- 1.4 वर्ष 2002 में अंगीकृत आई0एस0एम0&एच0 नीति में भारतीय औषधी प्रणाली (आई0एस0एम0) के स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के साथ सार्थक चरणबद्ध एकीकरण पर बल दिया गया, जिसे आयुष विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयुष के मुख्य घटक के रूप में विस्तार दिया गया। तब से अब तक आयुष सेवाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ है।
- 1.5 लागत प्रभावी आयुष सेवाओं की उपलब्धता, आयुष चिकित्सालय एवं औषधालयों (डिस्पेन्सरी) के उच्चीकरण, प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र एवं



चिकित्सालय में सह-स्थाने आयुष सुविधाएं, संस्थागत क्षमता एवं प्रवर्तन तंत्र की सुदृढता, अनुसंधान गतिविधियों के सुदृढीकरण, औषधीय पादपों की कृषि तथा गुणवत्तापरक कच्चे माल की आपूर्ति के सर्वोत्तम कृत्यों (बेस्ट प्रैक्टिस) के अंगीकरण, उद्यमियों हेतु अवस्थापना विकास एवं प्रभावी विपणन एवं प्रोत्साहन के उद्देश्यों के साथ पूर्ववर्ती आयुष विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन 12 वी योजना के दौरान समस्त राज्यों/केन्द्र शासित (यू0टी0) प्रदेशों हेतु 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' (एन0ए0एम0) लागू किया गया।

- 1.6 अद्यतन भारत सरकार द्वारा 'आयुष्मान भारत योजना' प्रारम्भ की गई है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 1.5 लाख वेलनेस केन्द्रों की स्थापना के द्वारा निवारक, प्रोत्साहन परक तथा उपचारात्मक देखभाल हेतु व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता कराना है।
- 1.7 राज्य समृद्ध जैवविविधता (समृद्ध औषधीय एवं सगंध पादप) से परिपूर्ण है तथा इसका वन आच्छादन सम्पूर्ण भू-भाग का लगभग 65% हैं। राज्य विविध महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षणों यथा— गंगा, धार्मिक क्षेत्रों (चार धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश, पंचप्रयाग आदि), राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, पर्वतीय स्टेशनों तथा पर्वत शिखरों, झीलों, यात्रा मार्गों आदि का गढ़ है, जहाँ वर्ष 2016 में 317.80 लाख पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया गया।
- 1.8 उत्तराखण्ड सरकार का यह मानना है कि राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संपदा के परिप्रेक्ष्य में औषधियों की पारम्परिक प्रणालियों एवं इसके पर्यटन आकर्षणों के सम्मिलन के द्वारा राज्य प्राचीन एवं पारम्परिक उपचार सहित



वेलनेस पर्यटन उत्पादों एवं सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत कर एक आकर्षक आयुष स्थल बन सकता है।

- 1.9 प्रथम कदम के रूप में, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2010 में एक समर्पित आयुष विभाग की स्थापना की गई तथा आयुष उपचार एवं वेलनेस गन्तव्य हेतु प्राथमिकता प्राप्त राज्य के गठन के उद्देश्य से 'उत्तराखण्ड आयुष नीति 2018' प्रस्तावित की गई हैं। उत्तराखण्ड राज्य यह दावा कर सकता है कि उसके द्वारा आयुष विभाग का गठन भारत सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय के गठन से पूर्व किया जा चुका था।
- 1.10 यह प्रस्तावित नीति उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसायटी द्वारा घोषित राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा प्रस्तावित उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2018 की तर्ज पर गठित की गई हैं।
- 1.11 प्रस्तावित नीति स्वयं को राज्य की समस्त सफल स्वास्थ्य रणनीतियों की पूरक के रूप में स्थापित कर सकेगी। यह मान्यता प्रदान करेगी कि आयुष प्रणाली की औषधियों के स्वास्थ्य सेवा सिद्धान्तों एवं मुख्यधारा में अवसंरचना सुविधाओं का विकास, तकनीकी संस्थानों की स्थापना, औषधि की गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार, संस्थानों एवं पेशेवरों की क्षमता अभिवृद्धि, अनुसंधान एवं व्यावहारिक उपयोग के लोक स्वास्थ्य कौशल के द्वारा औषधियों की व्यक्तिगत प्रणालियों का पोषण सम्मिलित होगा तथा निवारणीय, उपचारणीय एवं प्रोत्साहनीय स्वास्थ्य सेवा हेतु समुदाय आधारित आयुष हस्तक्षेपों को आरम्भ किया जायेगा।



2 परिचय

2.1 पारम्परिक औषधि ने सदैव वैश्विक लोकप्रियता अक्षुण्ण रखी है तथा पिछले कई दशक अनेको विकसित एवं विकासशील देशों में पूरक एवं वैकल्पिक औषधियों के बढ़ते उपयोग के गवाह रहे हैं। लोकप्रिय पारम्परिक, पूरक एवं वैकल्पिक औषधि अभ्यासों में सम्मिलित हैं— आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, सिद्धा, यूनानी, एक्यूपंकचर, बेबीलोनियन औषधि, चिरोप्रेक्टिक, ऑस्टियोपैथी, ताई-ची एवं पारम्परिक थाई औषधि। शोध से स्पष्ट हुआ है कि कतिपय एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में वर्तमान में 80 प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक चिकित्सा सेवा के कतिपय क्षेत्रों में हर्बल औषधि का उपयोग कर रही हैं।

2.2 भारत एक बेजोड़ विरासत को धारित करता है, जो इसकी प्राचीन औषधि प्रणालियों से परिलक्षित होती है, जोकि निवारक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा के ज्ञान का भंडार है। न्यूनतम लागत, दक्ष स्वास्थ्य पेशवरों एवं आयुर्वेद व योग को समाहित किये विश्व स्तरीय अस्पतालों के साथ भारत चिकित्सा पर्यटन का पूर्व से ही एक पसंदीदा गंतव्य स्थल रहा है।

2.3 उत्तराखण्ड जो कि हिमालय के प्राकृतिक पर्यावरण, भाबर एवं तराई हेतु जाना जाता है, में पर्वत एवं वन के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं। इसकी कृषि-जलवायवी परिस्थितियाँ उद्यान आधारित उद्योगों को समर्थन प्रदान करती हैं तथा राज्य को 175 से अधिक दुर्लभ औषधीय, सगंध एवं हर्बल पादपों का गृह क्षेत्र बनाती है।



- 2.4 भारत के तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में से एक उत्तराखण्ड भी हैं, अनुकूल औद्योगिक नीति के फलस्वरूप पूंजीगत निवेश की वृहद वृद्धि को धन्यवाद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो कि देश का एक अग्रणी बाजार तथा पड़ोसी राज्यों— हिमांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब से उत्कृष्ट रूप से जुड़ाव रखता है, कि उत्तराखण्ड राज्य से भी नजदीकी निकटता है।
- 2.5 राज्य के पास 39000 किमी⁰ का सड़क नेटवर्क तथा दो घरेलू हवाई अड्डों सहित एक सशक्त भौतिक अवसंरचना है। स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में राज्य के पास चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का अच्छा नेटवर्क है। राज्य में 1918 उपकेन्द्र, 301 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी०एच०सी०), 73 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी०एच०सी०), 47 उप जिला चिकित्सालय एवं 21 जिला चिकित्सालय अवस्थित हैं। 2018-19 के अद्यतन घोषित राज्य बजट घोषणा में, ₹0 2,286.57 करोड़ (कुल बजट आवंटन का 5%) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा ₹0 302 करोड़ (कुल बजट आवंटन का 0.66%) आयुष तथा आयुष शिक्षा को आवंटित किया गया है।
- 2.6 उत्तराखण्ड एक उभरता हुआ पर्यटक गन्तव्य राज्य भी है जो पवित्र मंदिरों, गंगा व यमुना जैसी दो सर्वाधिक पवित्र नदियों का उद्गम स्थल होने के कारण 'देवभूमि' के रूप में जाना जाता है। यह अनेको प्राचीन मंदिरों, आरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों, पर्वतीय स्टेशनों एवं पर्वत शिखर भी अवस्थित है। राज्य ने वर्ष 2016 में 3 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित किया है।

सामाजिक आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	
क्षेत्र	53433 वर्ग किमी० (19 वा सबसे बड़ा)
राजधानी शहर	देहरादून
जनसंख्या (जनगणना 2011)	1009 लाख
जनसंख्या घनत्व	189 प्रति वर्ग किमी०
2017-18 मे जी०एस०डी०पी० (वर्तमान मूल्य पर)	2.18 लाख करोड
मानव विकास सूचकांक (2011)	0.515 (7 वा स्थान), भारत के औसत 0.511 के सापेक्ष
जीवन प्रत्याशा (2010-14)	71.7 वर्ष, भारत क औसत 67.9 वर्ष के सापेक्ष
उत्तराखण्ड मे स्थानीय निकाय	नगर निगम - 8 नगर पालिका परिषद - 41 नगर पंचायत - 43 क्षेत्र पंचायत - 93
स्वास्थ्य सूचकांक	
शिशु मृत्यु दर (एस०आर०एस० 2016)	38, भारत क औसत 37 के सापेक्ष
मातृ मृत्यु दर (एस०आर०एस० 2014-16)	201, भारत क औसत 130 के सापेक्ष
कुल प्रजनन दर (एस०आर०एस० 2016)	1.9, भारत क औसत 2.3 के सापेक्ष



अशोधित मृत्यु दर (एस0आर0एस0 2016)	16.6, भारत क औसत 20.4 के सापेक्ष
अशोधित जन्म दर (एस0आर0एस0 2016)	6.7, भारत क औसत 6.4 के सापेक्ष
लिंगानुपात (2011)	963, भारत क औसत 940 के सापेक्ष
स्वास्थ्य अवसंरचना	<ul style="list-style-type: none"> ● 1918 उपकेन्द्र ● 297 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ● 70 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ● 27 उपजिला चिकित्सालय एवं ● 21 जिला चिकित्सालय
पर्यटन प्रोफाईल	
घरेलू पर्यटक	● 305.05 लाख (1.89% अंश)
विदेशी पर्यटक	● 1.17 लाख (0.47% अंश)

स्त्रोत— उत्तराखण्ड की सामाजिक एवं आर्थिक प्रोफाईल एवं नीति आयोग

- 2.7 आयुष प्रणालियों में आयुर्वेद, योग एवं सिद्धा की उत्पत्ति भारत में हुई, जबकि अन्य प्रणालियों यथा— प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी एवं होम्योपैथी समय के साथ उभरे। आयुष प्रणाली अनेकों राज्यों में लोकप्रिय है तथा एक समग्र, व्यापक, लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल एवं सुरक्षित औषधि प्रणाली के रूप में वृहद स्तर पर स्वीकार्य हैं।



- 2.8 आयुर्वेद का अर्थ 'जीवन का विज्ञान' है। यह सम्पूर्ण भारतवर्ष सहित पड़ोसी देशों यथा— श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल एवं बांग्लादेश में प्रचलित हैं। अनेको भारतीय राज्यों में आधुनिक औषधि आयुर्वेद के साथ प्रचलित हैं। आयुर्वेद एक ऐसी पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली है जो कि उत्तराखण्ड की दैनिक दिनचर्या से एकीकृत होकर आबादी को असमानान्तर रूप से स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध करा रही है।
- 2.9 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को एक औषधि मुक्त, गैर आक्रामक, तर्कसंगत एवं प्रमाण आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं औषधि प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का निर्माण करती है, जो शिक्षा, स्व-जिम्मेदारी, प्राकृतिक निदानों द्वारा उपचार एवं रोकथाम तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को सहयोग एवं संवेदित करने की उपचार-विधि, स्व-उपचार प्रक्रियाओं एवं स्वास्थ्य रखरखाव पर बल देती है।
- 2.10 यूनानी दक्षिण एशिया में वृहत रूप से प्रचलित एक पारम्परिक औषधि का रूप है। भारत में यह वैकल्पिक चिकित्सा विज्ञान की प्रख्यात शाखाओं में से एक है। यूनानी देहद्रव के हिप्पोक्रेटिक सिद्धान्त एवं 6 कारकों— वायुमंडलीय वायु, भोजन, जल, भौतिक चलन एवं विश्राम, मानसिक गतिविधियाँ तथा विश्राम एवं निकास व धारण, पर यह आधारित है जो कि रोग निवारण एवं स्वास्थ्य रखरखाव के लिये जिम्मेदार हैं।

2.11 सिद्धा मुख्यतः तमिलनाडु एवं केरल में प्रचलित औषधि की पारम्परिक द्रविडियन प्रणाली है। इस प्रणाली की शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा तक व्यापक पहुँच है। इसके उत्पाद/औषधियाँ हर्बल पादपों, प्रसंकरित धातु, खनिजों, जैव उत्पादों तथा सहउत्पादों से निर्मित होते हैं।

2.12 होम्योपैथी का भारत में 125 वर्ष का इतिहास है तथा यह औषधि की एक पूरक प्रणाली के रूप में वर्गीकृत है, जिसमें प्राकृतिक पदार्थों की अल्प खुराक के द्वारा बीमारियों का उपचार किया जाता है।

2.13 उत्तराखण्ड में आयुष अवस्थापना सुविधाओं का विवरण

प्रणाली	यूनिट	शैय्या	पंजीकृत चिकित्सक	अनुज्ञा प्राप्त फार्मसी
आयुर्वेद	551	20149	3665	281
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	—	—	—	—
यूनानी	5	—	162	02
सिद्धा	—	—	—	—
होम्योपैथी	110	—	—	—
एलोपैथिक यूनिटों में आयुर्वेदिक शाखाएं	569	—	—	—
एलोपैथिक यूनिटों में होम्योपैथिक शाखाएं	41	—	—	—



उपरोक्त तालिका के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद औषधि की आयुष प्रणालियों में प्रभुत्व रखता है जिसने 2017-18 में 40 लाख से अधिक रोगियों को सेवित किया है। शासकीय प्रतिष्ठानों, यथा- राजकीय ऋषिकुल आयुर्वेद विद्यालय व चिकित्सालय तथा राजकीय गुरुकुल आयुर्वेद विद्यालय व चिकित्सालय, दोनों ही हरिद्वार में अवस्थित उत्तराखण्ड के प्रतिष्ठित आयुर्वेद चिकित्सालय हैं, जिनका अस्तित्व स्वतंत्रता से पूर्व का है। अद्यतन, राज्य द्वारा 13 निजी आयुर्वेदिक विद्यालय व चिकित्सालय, 2 होम्योपैथिक विद्यालय व चिकित्सालय उधमसिंह नगर तथा देहरादून तथा एक यूनानी विद्यालय एवं चिकित्सालय हरिद्वार में खोले गये हैं।

2.14 उत्तराखण्ड में आयुष अवस्थापना सुविधाओं का विवरण

भारत में औषधि की प्रत्येक प्रणाली में विशेषज्ञता धारित करने वाले 11 राष्ट्रीय संस्थान आयुष मंत्रालय के अधीन हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में अवस्थित हैं, जबकि राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा एवं राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान क्रमशः तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में अवस्थित हैं।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में हिमालयन वानस्पतिक क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (सी०सी०आर०ए०एस०) अवस्थित हैं।



उपरोक्त के अतिरिक्त, उत्तराखण्ड में 16 आयुर्वेद (1080 विद्यार्थियों की बैठने योग्य क्षमता युक्त), 02-होम्योपैथी, 01 यूनानी पूर्व-स्नातक विद्यालय, 125 विद्यार्थी के विभिन्न विधाओं में बैठने की क्षमता युक्त 05 आयुर्वेदिक परास्नातक विद्यालय, 19 आयुर्वेदिक एवं 04 यूनानी परा-चिकित्सीय विद्यालय हैं। उत्तराखण्ड में एक समर्पित उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (यू०ए०यू०) है, जो 2009 में स्थापित किया गया, जिसका मुख्य परिसर देहरादून तथा दो अन्य परिसर ऋषिकुल एवं गुरुकुल हरिद्वार में अवस्थित हैं।

- 2.15 कच्चा माल एवं औषधि की गुणवत्ता के आधार पर राज्य के पास समृद्ध औषधीय पादपों एवं दुर्लभ जड़ी-बूटियों यथा- अतिविषा, कुट, पुष्करमूल, जटामांसी, मेधा, महामेधा, जीवक, ऋषाबक, वत्सनव, सालमपंजा आदि की विरासत हैं। राज्य में हर्बल अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एच०आर०डी०आई०) गोपेश्वर तथा संगंध पादप केन्द्र देहरादून में अवस्थित है, जो कृषिकरण तकनीको को प्रोत्साहित करता है तथा भारतीय चिकित्सा औषधि निगम लिमिटेड (आई०एम०पी०सी०एल०), अल्मोडा तथा ऋषिकुल राज्य आयुर्वेदिक फार्मसी, हरिद्वार द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के पास जी०एम०पी० प्रमाणित आयुर्वेद एवं यूनानी औषधि निर्माण यूनिट की वृहद उपलब्धता है। राज्य के पास राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ऋषिकुल परिसर, हरिद्वार में है।
- 2.16 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आधुनिक चिकित्सा के समतुल्य आयुष हेतु भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना सहित स्वास्थ्य बीमा की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है।



2.17 उत्तराखण्ड में आयुष की सशक्तता का लाभ उठाकर राज्य आयुष वेलनेस पर्यटन के लोकप्रिय गन्तव्य स्थल के रूप में उभर सकता है तथा औषधीय पादपों की खेती एवं प्रसार के द्वारा राजस्व प्राप्ति एवं रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न कर सकता है।

3 दृष्टि

उत्तराखण्ड को स्वास्थ्य सेवा एवं पर्यटन हेतु पसंदीदा आयुष गन्तव्य राज्य के रूप में ब्रांड करना।

4. उद्देश्य

- उत्तराखण्ड को वैश्विक मानचित्र में पसंदीदा आयुष वेलनेस गन्तव्य राज्य के रूप में स्थापित करना
- चिकित्सा की आयुष प्रणाली को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में उपचार के एक पसंदीदा विकल्प के रूप में स्थापित करना
- आयुष चिकित्सा की विद्यमान अवसंरचना का उन्नयन तथा चिकित्सालयों एवं औषधालयों सहित नवीन अवसंरचना का विकास
- आयुष के समस्त क्षेत्रों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में ठोस नीतिगत कार्यवाही के द्वारा आयुष औषधि एवं सेवाओं

की सार्वभौमिक पहुँच को सक्षम बनाकर समाज की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना

- आयुष क्षेत्र में निजी निवेशों हेतु एकल खिडकी निकासी की व्यवस्था का सृजन
- उच्च गुणवत्तायुक्त आयुष औषधियों की उवलब्धता सुनिश्चित करना।
- आयुष औषधियों हेतु कच्चा माल के उत्पादन में सुधार लाना

5. रणनीतिक ढांचा एवं प्रमुख क्षेत्र

आयुष के विकास का रणनीतिक ढांचा चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित हैं।

अवस्थापना विकास		आयुष कार्यक्रम		आयुष शिक्षा
अनुसंधान		गुणवत्तापरक औषधि		निवेश
गवर्नेंस		संस्थागत प्रणाली		नियामक ढांचा



5.1 अवसंरचना उन्नयन

- उत्तराखण्ड सरकार विद्यमान अवसंरचना सुविधाओं तथा नवीन अवसंरचना के विकास हेतु प्रयास करेगी। आयुष अवसंरचना से चिकित्सालय, विशेषज्ञ चिकित्सालय एवं औषधालय संदर्भित हैं।
- गुणवत्ता सेवाओं में सुधार तथा रोगी भार क्षमता को बढ़ाने हेतु विद्यमान राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों तथा सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त औषधालयों का राष्ट्रीय चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (एन0ए0बी0एच0) प्रमाणन बोर्ड के मानकों पर उन्नयन किया जायेगा। आयुष प्रणालियों हेतु उत्तराखण्ड स्वास्थ्य सेवा प्रमाणन मानक (यू0ए0एस0एच0) लागू किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार प्रयास करेगी।
- राज्य में सिद्धा एवं प्राकृतिक चिकित्सालयों को आरम्भ करने की संभाव्यता का आकलन किया जायेगा तथा इसे चरणबद्ध रूप में आरम्भ किया जायेगा। रोगियों की संख्या के आधार पर चिकित्सालयों एवं औषधालयों का उन्नयन अन्य उच्चतर स्तर पर किया जायेगा।
- आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वेलनेस केन्द्रों को चिन्हित किया जायेगा।
- रोग निगरानी अध्ययन के आधार पर विशेष वाह्य रोगी विभाग (ओ0पी0डी0) स्थानीय निकाय विशेष में आरम्भ किये जायेंगे।



- जनहित वाले स्थलों में आयुष स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों को सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के अधीन आरम्भ किया जायेगा।

5.2 आयुष कार्यक्रम

- सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, जनजातीय स्वास्थ्य सेवा, पीडा हरण सेवा, कैंसर सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, बाल सुरक्षा, जराचिकित्सा सेवा, खेल-कूद सुरक्षा, संक्रमणीय व असंक्रमणीय रोग व जीवनशैली प्रबंधन पर केन्द्रित आयुष स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बढ़ोतरी एवं विकास हेतु सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जायेगा। आयुष कार्यक्रमों को स्वास्थ्य नीतियों एवं कार्यक्रमों में सम्मिलित कर स्थानीय निकायों में आरम्भ किये जाने हेतु पर्याप्त धनराशि का निर्धारण आवंटित बजट के अधीन किया जायेगा।
- सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा- आयुष चिकित्सको की सेवाएं विभिन्न जन स्वास्थ्य सेवा प्रदान किये जाने तथा विभिन्न राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में उपयोग की जायेगी। उपचारात्मक एवं निवारात्मक स्वास्थ्य सेवा हेतु समुदाय आधारित आयुष हस्तक्षेप/गतिविधियां आरम्भ की जायेंगी तथा इन्हें स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जायेगा।
- जनजातीय स्वास्थ्य सेवा- जनजातीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लगभग 3 लाख जनजाति जनसंख्या, जो उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या के लगभग 3% (2011 की जनगणनानुसार) हैं, तक विस्तारित किये जा सकते हैं। राज्य में 5 जनजातियाँ क्रमशः थारू (उधमसिंह नगर, पौड़ी एवं हरिद्वार), जौनसारी (देहरादून,



उत्तरकाशी एवं टिहरी), बुक्सा (देहरादून, नैनीताल, उधमसिंह नगर एवं हरिद्वार), भोटिया (अल्मोडा, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं उत्तरकाशी) एवं राजी (पिथौरागढ़ एवं चम्पावत) अधिसूचित हैं। स्वयं सहायता समूहों एवं आदिवासी प्रोत्साहकों के माध्यम से आयुष चिकित्सा किटों के वितरण द्वारा जनजातीय जनसंख्या को आयुष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

- पीडा हरण सेवा— आयुष की प्रत्येक प्रणाली की उपचार संकल्पना उपचारात्मक, निवारक एवं सहायक उपचार क्रियाओं पर आधारित है। पीडाहरण सेवा कार्यक्रम स्थानीय निकायों की प्रतिभागिता से राज्य भर में प्रसारित किया जायेगा।
- कैंसर सुरक्षा— आयुष की प्रत्येक प्रणाली की सशक्ता के आधार पर कैंसर जागरूकता, आरम्भिक पहचान, निवारण, एवं उपचार हेतु राज्य स्तरीय विस्तारीकरण कार्यक्रम चलाया जायेगा। कैंसर की रोकथाम के लिये आयुर्वेद आहार व्यवस्था, योगाभ्यास, एवं प्राकृतिक चिकित्सीय जीवन शैली का आरम्भ किया जायेगा। आयुष कैंसर उपचार केन्द्र आरम्भ किये जायेंगे तथा कैंसर के प्रबंधन हेतु एकीकृत प्रोटोकाल विकसित किये जायेंगे।
- मातृत्व सुरक्षा— योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से प्राकृतिक आहार एवं जीवनशैली पर परामर्श तथा प्राकृतिक प्रसव, प्रसव-पूर्व एवं प्रसव उपरांत सुरक्षा लाभों की संभावित माताओं तक समग्र पहुँच उपलब्ध कराने हेतु आयुष मातृत्व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।



- बाल सुरक्षा— बाल स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम, जिसमें बाल स्वास्थ्य सुरक्षा किट तथा जागरूकता कार्यक्रम सम्मिलित है, स्वस्थ जीवन शैली विकास के उद्देश्य के साथ आरम्भ किये जायेंगे।
- जराचिकित्सा सेवा— प्रत्येक आयुष प्रणाली की सशक्ता का लाभ उठाते हुए चिकित्सालयों एवं औषधालयों के माध्यम से वृद्धावस्था से संबंधित समस्याओं के प्रबंधन हेतु विशेष कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे।
- खेल-कूद चिकित्सा— सिद्धा उपचार के माध्यम से शरीर के ऊर्जा बिन्दुओं से चोट के उपचारित होने के संभाव्यता के दृष्टिगत खेल-कूद से संबंधित चोट के उपचार हेतु सिद्धा वर्मा उपचार विधि आरम्भ की जायेगी।
- संक्रमणीय रोग— संक्रमणीय रोगों के प्रभावी नियंत्रण, निवारण एवं प्रबंधन हेतु आयुष क्षेत्रीय संक्रमणीय रोग निवारक कार्यक्रम को लाते हुए एकीकृत आयुष कार्यक्रम जारी किया जायेगा, जहाँ संक्रमणीय रोगों के प्रकोप की पुनरावृत्ति को ध्यान में रखा जायेगा।
- असंक्रमणीय रोग— आयुष की प्रत्येक प्रणाली की भूमिका का एकीकरण करते हुए जीवनशैली आधारित रोगों के निवारण हेतु समस्त जनपदों में पृथक कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। असंक्रमणीय रोगों के प्रबंधन हेतु विद्यमान आयुष चिकित्सालयों एवं औषधालयों में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा औषधालयों को एकीकृत किया जायेगा।



- जीवनशैली प्रबंधन- सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों के द्वारा जीवन शैली रोग प्रबंधन एवं निवारण पर राज्य सरकार एकीकृत कार्यक्रम के आयोजन को सुगम बनायेंगी। जीवन शैली रोगों के उपचारार्थ विभिन्न कार्यक्रम यथा- राज्य स्तरीय कार्यक्रम 'आयुष्मानभव' समस्त आयुष चिकित्सालयों में आरम्भ किया जायेगा तथा 'स्वस्थ जीवन का विज्ञान' सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित किया जायेगा। आयुर्वेद एवं होम्योपैथी की शक्ति का लाभ उठाकर नशा-मुक्ति विशेषज्ञता क्लीनिक आरम्भ की जायेंगी। एक संयुक्त आयुष प्रजनन केन्द्र एवं बंध्यता की उच्च घटनाओं के कारणों को न्यून किये जाने हेतु हस्तक्षेप कार्यक्रम आरम्भ किया जायेंगा।

5.3 आयुष शिक्षा

- चिकित्सा शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा एवं परा-चिकित्सा (पैरामेडिकल) शिक्षा में आयुष पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- चिकित्सा शिक्षा- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में आयुष शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाये जाने हेतु उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की विद्यमान फैकल्टी को उच्चीकृत कर आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। संभाव्यता अध्ययन के आधार पर स्नातक पूर्व, परास्नातक एवं पी0एच0डी0 कार्यक्रमों के साथ आयुष चिकित्सा विद्यालयों की विभिन्न धाराओं को बढ़ावा दिया जायेगा। केन्द्र सरकार की योजना के अंतर्गत विभिन्न आयुष प्रणालियों का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एवं तदोपरान्त 'उत्कृष्टता केन्द्र' आरम्भ किये जाने का आकलन माँग के आधार पर किया जायेगा।



- विद्यालयी शिक्षा- योग सहित आयुष विषयों का विभिन्न स्तरों पर विद्यालयी पाठ्यक्रम में समावेश।
- पैरामेडिकल शिक्षा- फार्मसी, पंचकर्म चिकित्सा विधि, आयुष नर्सिंग एवं आयुष के अन्य विशेषीकृत पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा एवं डिग्री कार्यक्रमों को सशक्त किया जायेगा।
- क्षमता अभिवृद्धि- सतत चिकित्सा शिक्षा (सी0ई0ई0) कार्यक्रमों तथा पुर्नभिमुखीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से नवीन शोधो, उपचार की वैज्ञानिक विधि, औषधीय पादपों तथा औषधि की समस्त प्रणालियों पर चिकित्सकों तथा पैरामेडिक्स को अद्यतन किये जाने के प्रयास किये जायेंगे। चिकित्सकों, शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं एवं विद्यार्थियों को औषधियों की विभिन्न प्रणालियों में समुचित प्रशिक्षण दिये जाने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा प्रमुख संस्थानों का विकास किया जायेगा।
- आयुष की समस्त धाराओं, वेलनेस एवं अन्य पर सर्टिफिकेशन कोर्स मान्यता प्राप्ति हेतु प्रारम्भ किये जायेंगे।



5.4 अनुसंधान

- शैक्षिक शोध— विभाग द्वारा 'चरक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान', कोटद्वार (पौड़ी गढवाल) में स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे कि शोध संस्थानों, अकादमियों तथा उद्योगों के मध्य अर्थपूर्ण सामंजस्य स्थापित करते हुये शोध परिणामों को जनउपयोगी बनाया जा सके तथा ज्ञान अंतराल को पूर्ति की जा सके।
- नैदानिक शोध— सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों में आयुष प्रणाली की प्रभावोत्पादकता पर केन्द्रित शोध परियोजनाओं हेतु अनुदान प्रदान किया जायेगा।
- औषधि शोध— उत्कृष्ट उत्पादों के वैज्ञानिक पुनर्सत्यापन तथा नवीन उत्पादों के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर एक अंतः- आयामी शोध केन्द्र की स्थापना की जायेगी। 'चरक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान' द्वारा भी औषधि पर शोध किये जायेंगे।
- वाह्य शोध— आयुष प्रणाली की वैज्ञानिक जाँच के अवसरों को विकसित किये जाने के उद्देश्य से आयुष पर वाह्य शोध परियोजनाएँ विकसित की जायेंगी ताकि उपयोगकर्ता, शोधकर्ता चिकित्सक, उद्योग एवं आमजन लाभान्वित हो सके।

5.5 औषधि

- कच्चा माल—औषधि पादपों की नर्सरी समस्त आयुष शैक्षिक संस्थानों एवं चिकित्सालयों में आवश्यक सरकारी सहायता से स्थापित की जायेगी। हर्बल उपवन लगाये जाने तथा पर्याप्त औषधीय पादपों के सार्वजनिक परिसरों में



कृषिकरण एवं सार्वजनिक परिसरों में पर्याप्त औषधीय पादप तथा हर्बल बगीचे लगाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। उत्तराखण्ड सरकार हर्बल शोध एवं विकास संस्थान (एच0आर0डी0आई0), स्थानीय निकायों, वन एवं वन्यजीव विभागों तथा राज्य एवं केन्द्रीय औषधीय पादप बोर्ड के सहयोग से विलुप्तप्राय औषधीय वनस्पतियों एवं जीवों की सुरक्षा हेतु गतिविधियाँ प्रारम्भ करेगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार दुर्लभ औषधीय पादपों एवं जड़ी-बूटियों के कृषिकरण हेतु अनुदान उपलब्ध कराये जायेंगे। औषधीय उपज के कृषिकरण हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किये जाने के लिये अग्रगामी सम्बन्ध विकसित किये जाये जायेंगे।

- औषधि निर्माण— हरिद्वार में विद्यमान ऋषिकुल राज्य आयुर्वेदिक फार्मसी को अवसंरचना, उपकरणों एवं मानवशक्ति के अर्थ में सशक्त किया जायेगा। घरेलू एवं बाजार माँग की आपूर्ति के लिये ऋषिकुल राज्य आयुर्वेदिक फार्मसी हेतु एक आत्मनिर्भर मॉडल अपनाया जायेगा। औषधियों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु अतिरिक्त जी0एम0पी0 प्रमाणित आयुर्वेद एवं यूनानी औषधि निर्माण यूनिट को सम्मिलित किये जाने के उपाय किये जायेंगे ताकि राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त औषधीय सामग्री की प्राप्ति का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- गुणवत्ता आश्वासन एवं नियंत्रण— कच्चे माल की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु कच्चा माल आपूर्तिकर्त्ताओं को लाईसेन्स जारी किये जाने के लिये कड़ा निगरानी तंत्र अपनाया जायेगा। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विद्यमान औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को आवश्यक मानव शक्ति एवं परीक्षण सुविधाओं के साथ सशक्त किया जायेगा।



5.6 आयुष एवं वेलनेस पर्यटन में निवेश—

- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आयुष जो कि एक केन्द्रीय क्षेत्र है, में निजी निवेश को आकर्षित करने तथा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिये ठोस प्रयास किया जायेगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार की पात्र योजनाओं के अनुसार गतिविधियाँ यथा— आयुष स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना विकास/उन्नयन, आयुष वेलनेस पर्यटन तथा आयुष औषधि निर्माण, का संचालन निजी निवेश के माध्यम से किया जायेगा।
- लोक निजी सहभागिता सहित निजी निवेश हेतु चिन्हित मुख्य निवेश योग्य आयुष परियोजनाएँ/ गतिविधियाँ निम्नानुसार वर्गीकृत की गई हैं—

क— वेलनेस आधारित आयुष परियोजनाएँ—

1. उत्तराखण्ड स्वास्थ्य पर्यटन एवं जैविक उत्पादन सम्बंधी गतिविधियों के विकास हेतु आयुष बस्ती (टाउनशिप) की योजना बनाई जायेगी। परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हर्बल एवं आयुष पर्यटन हब के रूप में प्रस्तावित किया जायेगा। आयुष बस्ती में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, पर्यटक गतिविधियाँ हेतु पर्यावरण अनुकूल वातावरण, फिजियोथेरेपी केन्द्र एवं व्यायामशाला, स्वदेशी एवं हिमालयी नस्ल के पशुओं हेतु गौशाला, हर्बल उपवन, औषधीय एवं संगंध पादपों की नर्सरी, जैविक खाद्य सुविधा, कृषि, औद्यानिकी, पुष्प उत्पादन तथा जैविक कृषि क्षेत्र, स्टूडियो अपार्टमेन्ट एवं विला, वेलनेस/उपचार केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थान, लैण्डस्केपिंग एवं अन्य अवस्थापना



सुविधाओं यथा- पार्किंग, हैलीपेड एवं खुदरा दुकाने जैसी विशेषताएँ होनी चाहिये।

2. **आयुश ग्राम योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में योग एवं आयुष पद्धति से उपचार पर केन्द्रित ऐसे ग्राम विकसित किये जायेंगे जो कि वैलनेस सेन्टर एवं परामर्श केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। निजी निवेशकों से प्रदेश में आयुष ग्राम की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा।

वर्तमान में राज्य सरकार के पास आयुष ग्राम की स्थापना हेतु जनपद उत्तरकाशी, चम्पावत, पिथौरागढ़, टिहरी एवं चमोली में भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत इन स्थानों पर पी०पी०पी० मोड में भी आयुष ग्राम स्थापित किया जायेगा।

3. **योग ग्राम योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ऐसे योग केन्द्र विकसित किये जायेंगे जिन में योग, ध्यान केन्द्र, हर्बल गार्डन आदि पर विशेष बल दिया जायेगा। इन केन्द्रों को आधुनिक योग एवं ध्यान केन्द्रों के स्टेट ऑफ आर्ट सेन्टर के रूप में विकसित किया जायेगा।

वर्तमान में राज्य सरकार के पास योग ग्राम की स्थापना हेतु जनपद अल्मोडा, टिहरी, जागेश्वर, उत्तरकाशी, चम्पावत और पिथौरागढ़ में भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत इन स्थानों पर पी०पी०पी० मोड में भी योग ग्राम स्थापित किया जायेगा।

- 4- **आयुश वेलनेस रिसॉर्ट योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित स्थलों पर पंचकर्म, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा आदि पर केन्द्रित सेन्टर विकसित किये जायेंगे। प्रदेश में स्थित कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल के पर्वतीय स्थलों, धार्मिक महत्व के स्थलों के समीप तथा चारधाम यात्रा



मार्ग के अतिरिक्त ऐसे सेन्टर विकसित किये जाने हेतु हरिद्वार तथा ऋषिकेश पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

- 5- होमस्टे- विद्यमान होमस्टे का आकलन किया जायेगा तथा पंचकर्म चिकित्सा, योग एवं अन्य आयुष सेवाओं के साथ इन्हें उच्चिकृत किया जायेगा।

ख)- स्वास्थ्य सेवा आधारित आयुष परियोजनाएं

1. रोग आधारित चिकित्सालय- आयुष विभाग देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में उपलब्ध चिकित्सालयों को लोक-निजी-सहभागिता (पी0पी0पी0) के अंतर्गत रोग आधारित चिकित्सालयों में विकसित किये जाने की संभावनाएं तलाशेंगे, जिससे विशिष्ट रोगों के उपचार आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
2. 50 शैय्या युक्त चिकित्सालय- 50 शैय्या युक्त एक एकीकृत चिकित्सालय का निर्माण हल्द्वानी (जिला-नैनीताल) में निर्माणाधीन है जो नजदीकी जिलों के वृहत समाज को सेवित करेगा। विभाग इसका संचालन एवं रखरखाव पी0पी0पी0 मोड पर तलाशने तथा समान क्षमता के चिकित्सालय पी0पी0पी0 मोड पर उत्तराखण्ड के अन्य जिलों में विकसित करने की योजना बनायेगा।

ग)- निर्माण आधारित आयुष परियोजनाएं- इसमें आयुष औषधि निर्माण यूनिट तथा फार्मसी के विकास की परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

आयुष विभाग निवेशयुक्त परियोजनाओं की सूचीं अनुरक्षित करेगा तथा प्रोत्साहनों एवं अनुदान लाभों के लिये इस नीति को अद्यतनीकृत करेगा।



उपरोक्त परिभाषित परियोजनाओं को परियोजनाओं की व्यवहार्यता के आधार पर पूर्ण रूप से अथवा चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जायेगा।

- चिन्हित परियोजनाओं हेतु पात्र योजनाएं— उत्तराखण्ड सरकार उत्तराखण्ड एम0एस0एम0ई0 नीति 2015, उत्तराखण्ड मेगा इन्डस्ट्रीयल एंड इन्वेस्टमेन्ट पालिसी 2015 तथा उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2018 के माध्यम से वित्तीय सहायता (पूँजीगत प्रोत्साहन, व्याज अनुदान, जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क में छूट) उपलब्ध करायेगी। आयुष विभाग अपने राज्य बजट के माध्यम से आवश्यक प्राविधान/वित्तीय सहायता जो एम0एस0एम0ई0 नीति 2015, मेगा इन्डस्ट्रीयल एंड इन्वेस्टमेन्ट पॉलिसी 2015 तथा उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2018 की पात्रता मानदंडों में नहीं आते हैं उपलब्ध करायेगा। परिभाषित गतिविधियाँ तथा प्रत्येक नीति के अंतर्गत वित्तीय सहयोग का विवरण निम्नवत है—

क)– उत्तराखण्ड एम0एस0एम0ई0 नीति 2015 (रु० 10 करोड़ से न्यूनतर निवेश हेतु)

क.1)– प्रोत्साहन/अनुदानों की मात्रा हेतु क्षेत्रों का वर्गीकरण

श्रेणी	सम्मिलित क्षेत्र
श्रेणी क	● पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र
श्रेणी ख	● पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र ● विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर एवं राजपुर को छोड़कर देहरादून के समस्त पर्वतीय विकास खण्ड



	<ul style="list-style-type: none"> ● नैनीताल जनपद के रामनगर एवं हल्द्वानी विकास खण्डों को छोड़कर शेष समस्त पर्वतीय विकास खण्ड
श्रेणी ग	<ul style="list-style-type: none"> ● रायपुर, सहसपुर, विकासनगर एवं डोईवाला विकासखण्डों के समुद्र तल से 650 मी० से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र ● नैनीताल जनपद के रामनगर एवं हल्द्वानी विकास खण्ड
श्रेणी घ	<ul style="list-style-type: none"> ● हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर जिलो का सम्पूर्ण क्षेत्र ● जनपद देहरादून एवं नैनीताल का अवशेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'ख' एवं 'ग' में सम्मिलित नहीं है)

क.2)– वित्तीय प्रोत्साहन हेतु योग्य गतिविधियाँ/परियोजनाएँ

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' में हरित अथवा नारंगी श्रेणी (यथा– औषध निर्माण) की प्रदूषण रहित उत्पादक उपक्रम
2. श्रेणी 'क' एवं 'ख' में ऐसी गतिविधियाँ जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उद्योग का दर्जा दिया गया हो (यथा कृषि एवं पर्यटन गतिविधियाँ)
3. श्रेणी 'क' एवं 'ख' में वेलनेस रिसार्ट
4. श्रेणी 'क' एवं 'ख' में चिकित्सालय
5. श्रेणी 'क' एवं 'ख' में पराचिकित्सीय संस्थान
6. श्रेणी 'ग' एवं 'घ' में मात्र उत्पादक गतिविधियाँ पात्र होंगी

क.3)– उपलब्ध प्रोत्साहन एवं अनुदान

1. पूँजीगत अनुदान–विभिन्न श्रेणियों हेतु 15%– 40% (अधिकतम सीमा 15-40 लाख)



2. व्याज अनुदान— विभिन्न श्रेणियों हेतु 0%— 10% (रु0 8 लाख/वर्ष/यूनिट तक)

3. स्टाम्प ड्यूटी छूट — 50%— 100%

क.4)– अवसंरचनात्मक एवं संस्थागत सहयोग

1. भूमि-बैंक की स्थापना

2. एकल खिडकी सुविधा एवं निकासी अधिनियम

उत्तराखण्ड एम0एस0एम0ई0 नीति 2015 के अधीन विस्तृत प्रोत्साहनों एवं छूटों सम्बंधी विस्तृत विवरण हेतु अनुलग्नक 7.1 का संदर्भ ले।

ख)– मेगा इन्डस्ट्रीयल एंड इन्वेस्टमेन्ट पालिसी 2015

ख.1)– परियोजनाओं के निवेश के आधार पर वर्गीकरण

श्रेणी	सम्मिलित क्षेत्र
लार्ज परियोजनाएं	50–75 करोड का पूंजी निवेश
मेगा परियोजनाएं	75–200 करोड का पूंजी निवेश
अल्ट्रा मेगा परियोजनाएं	200 करोड अथवा उससे अधिक का पूंजी निवेश

ख.2)– वित्तीय प्रोत्साहन हेतु योग्य गतिविधियाँ/परियोजनाएं

1. आयुष औषधि निर्माण इकाई

ख.3)– उपलब्ध प्रोत्साहन एवं अनुदान

1. पूंजीगत अनुदान—लार्ज/मेगा इकाईयों हेतु 15 अथवा अधिकतम रु0 30 लाख)

2. व्याज अनुदान— 7% (अधिकतम रु0 50 लाख)



3. स्टाम्प ड्यूटी छूट - 50%

4. भूमि का आवंटन- सिडकुल द्वारा प्रचलित दरो पर एकल खिडकी नीति के अंतर्गत भूमि का आवंटन

मेगा इन्डस्ट्रीयल एंड इन्वेस्टमेन्ट पालिसी 2015 के अधीन विस्तृत प्रोत्साहनों एवं छूटों सम्बन्धी विस्तृत विवरण हेतु अनुलग्नक 7.2 का संदर्भ ले।

ग)- उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2018 (रु0 50 करोड से अधिक निवेश) लागू वित्तीय सहायता यथा- प्रोत्साहन, /प्रतिपूर्ति/ अनुदान पात्र परियोजनाओं पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी जबकि आयुष विभाग द्वारा आवश्यक तकनीकी सहायता/सहयोग प्रदान किया जायेगा।

ग.1)- जिलों का वर्गीकरण

श्रेणी	सम्मिलित जिले
श्रेणी क	<ul style="list-style-type: none"> पिथौरागढ, उत्तरकाशी, चमोली, पौडी, टिहरी गढवाल, अल्मोडा, चम्पावत, रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर
श्रेणी ख	<ul style="list-style-type: none"> नैनीताल, उधमसिंह नगर, देहरादून एवं हरिद्वार

ग.2)- वित्तीय प्रोत्साहन हेतु योग्य गतिविधियाँ/परियोजनाएँ

1. आयुष ग्राम/संघ
2. योग ग्राम/केन्द्र
3. आयुष वेलनेस रिसार्ट
4. होमस्टे



ग.3)– उपलब्ध प्रोत्साहन एवं अनुदान (कृपया उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2018 का संदर्भ ले)

घ)– उत्तराखण्ड आयुष नीति के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहन:-

- आयुष विभाग, आयुष परियोजनाओं को राज्य सरकार की एम0एस0एम0ई0 नीति, मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट पॉलिसी तथा उत्तराखण्ड पर्यटन नीति के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रोत्साहन/ प्रतिपूर्ति/ अनुदानों के अतिरिक्त प्रति परियोजना प्लान्ट मशीनरी एवं बिल्डिंग मद में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली 30% अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपये है के अतिरिक्त इन्हीं मदों में सम्पूर्ण परियोजना लागत का 30% के अतिरिक्त 10% अथवा 1.50 करोड़ रुपये अधिकतम पर्वतीय जिलों के लिये तथा 1.00 करोड़ रुपये अधिकतम मैदानी जनपदों के लिये वित्तीय सहायता आवंटित बजट के सापेक्ष एकमुश्त उपलब्ध करायेगी।
- आयुष विभाग एक निवेश सहायता डेस्क (आई0एफ0डी0) स्थापित करेगा ताकि निवेश योग्य पर्यटन परियोजनाओं, प्रत्येक पर्यटन परियोजना का शेल्फ, उपलब्ध अवसंरचनाओं यथा- भूमि व भौतिक अवस्थापना तथा विभिन्न प्रोत्साहन अवसरों व योजनाओं पर आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सके जिससे कि निवेशकर्त्ता को निवेश निर्णय लेने में सुगमता हो सके। निवेश सहायता डेस्क नियमित सम्मेलन आयोजित करेगा तथा वैश्विक निवेश सम्मेलन में आयुष की



प्रतिभागिता भी सुनिश्चित करेगा। बोर्ड सदस्य नामित किये जायेंगे तथा निदेशक आयुष/नामित अधिकारी, निवेश सहायता डेस्क का नोडल अधिकारी होगा। आयुष विभाग में एक सहायता डेस्क स्थापित किया जायेगा।

5.7 गवर्नेंस

- उत्तराखण्ड सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाओं में आयुष अवसंरचना एवं मानवशक्ति को सह-स्थापित करने के अपने प्रयत्नों द्वारा जनसामान्य को पंसद के उपचार का अधिकार उपलब्ध कराने के प्रयास करेगी।
- राज्य सरकार विभिन्न प्रणालियों के चिकित्सकों के मध्य समान स्तर एवं समता लागू करेगी।
- उत्तराखण्ड स्वास्थ्य सेवा प्रमाणन मानक आयुष प्रणालियों हेतु लागू किये जायेंगे।
- उत्तराखण्ड सरकार समग्र आयुष उपचार केन्द्रों की पूरे राज्य में स्थापना करेगी ताकि स्वस्थ प्रति-संदर्भण (cross referral) प्रणाली द्वारा प्रत्येक उपचार प्रणाली की विशिष्टता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- आयुष विभाग का बजट आवंटन सम्पूर्ण राज्य बजट के 2% तक विस्तारित किया जायेगा।



- संमिलन (कन्वर्जेन्स) के द्वारा कृषिकरण, गोदामीकरण, मूल्य-संवर्द्धन, विपणन हेतु संघों की स्थापना तथा उद्यमियों के लिये अवसंरचना विकास हेतु सहयोग दिया जायेगा।
- भारत सरकार द्वारा अद्यतन घोषित 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा योजना' (एन0एच0पी0एस0) के अधीन राज्य सरकार आयुष की द्वितीयक एवं तृतीयक सेवा को आच्छादित करने का प्रयास करेगी।
- आयुष उपचार को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' (आर0एस0बी0वाई0) तथा अन्य भावी स्वास्थ्य सम्बंधी योजनाओं में सम्मिलित किया जायेगा।

5.8 संस्थागत तंत्र

- आयुष विभाग, उत्तराखण्ड, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को सशक्त कर संस्थागत क्षमता की अभिवृद्धि की जायेगी।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में प्रभावी व्यवहार्य-ज्ञान प्राप्ति हेतु इंटरनी की एक वर्ष की अनिवार्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित की जायेगी।
- आयुर्वेद एवं होम्योपैथी कोटे से एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले चिकित्सकों को आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थानों में अनिवार्य सेवा प्रदान किये जाने हेतु मानक प्रस्तावित किये जायेंगे।



- समुदाय को प्रभावित करने वाले महामारी रोगों के प्रबंधन हेतु आयुष टास्क फोर्स तथा निगरानी दल का गठन किया जायेगा।
- आवश्यक मानव शक्ति एवं अवसंरचना की सशक्तता के द्वारा सफल विभागीय कार्यक्रमों को संस्थागत किये जाने हेतु कदम उठाये जायेंगे।

5.9 नियामक ढांचा

- चिकित्सालयों को आरम्भ करने की स्वीकृति हेतु एकल खिडकी निकासी, चिकित्सालयों/औषधिशालाओं की स्थापना, स्टार्ट-अप तथा आयुष उत्पादन फर्मों के संचालन हेतु कर विराम एवं वर्ष आधारित वित्त पोषण।
- आयुष में शैक्षिक अभ्यासों एवं संस्थानों को पर्याप्त रूप से नियंत्रित एवं विनियमित किया जायेगा ताकि शिक्षा एवं अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित रहे।
- आयुष औषधि प्रणाली में मिथ्या चिकित्सा (क्वैकरी) को रोकने तथा निजी चिकित्सकों एवं उपचार केन्द्रों को विनियमित करने हेतु विधेयक लाने के कदम उठाये जायेंगे।
- उत्तराखण्ड में आयुष अभ्यासकर्त्ताओं पर चिकित्सा अभ्यासकर्त्ता अधिनियम (विधेयक) लागू किया जायेगा।

6. वैधता

यह नीति वर्ष 2018 से 5 वर्षों हेतु लागू होगी।



7. अनुलग्नक

7.1 उत्तराखण्ड एम0एस0एम0ई0 नीति 2015 के अंतर्गत प्रोत्साहन एवं छूट

क्र0स0	विवरण	श्रेणी 'क'	श्रेणी 'ख'	श्रेणी 'ख+'	श्रेणी 'ग'	श्रेणी 'घ'
1	नवीन पर्यटन इकाईयों को पूंजीगत अनुदान	40% (अधिकतम रु0 40 लाख)	35% (अधिकतम रु0 35 लाख)	35% (अधिकतम रु0 35 लाख)	30% (अधिकतम रु0 30 लाख)	15% (अधिकतम रु0 15 लाख)
2	नवीन पर्यटन इकाईयों को ऋण अनुदान	10% (अधिकतम रु0 8 लाख/वर्ष/इकाई)	8% (अधिकतम रु0 6 लाख/वर्ष/इकाई)	8% (अधिकतम रु0 6 लाख/वर्ष/इकाई)	6% (अधिकतम रु0 4 लाख/वर्ष/इकाई)	शून्य
3	स्टाम्प शुल्क में छूट	100%	100%	100%	100%	50%
4	कर प्रोत्साहन	50% एस0जी0एस0टी0	50%	50%	शून्य	शून्य



	(जी०एस०टी०)	प्रतिपूर्ति आरम्भिक 3 वर्षों के संचालन हेतु	एस०जी०एस०टी० प्रतिपूर्ति आरम्भिक 3 वर्षों के संचालन हेतु	एस०जी०एस०टी० प्रतिपूर्ति आरम्भिक 3 वर्षों के संचालन हेतु		
5	विद्युत शुल्क एवं दर	औद्योगिक शुल्क के अनुसार	औद्योगिक शुल्क के अनुसार	औद्योगिक शुल्क के अनुसार	औद्योगिक शुल्क के अनुसार	औद्योगिक शुल्क के अनुसार



7.2 उत्तराखण्ड मेगा इन्डस्ट्रीयल एवं इन्वेस्टमेन्ट पॉलिसी 2015 के अंतर्गत प्रोत्साहन एवं छूट

क्र०स०	मानक	विवरण
1	नवीन पर्यटन इकाईयों को पूंजीगत अनुदान	15% अथवा अधिकतम रु० 50 लाख एम०एस०एम०ई० इकाईयों हेतु तथा 15% अथवा अधिकतम रु० 30 लाख मेगा/अल्ट्रा मेगा इकाईयों हेतु
2	नवीन पर्यटन इकाईयों को ऋण अनुदान (व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ होने से आगामी 5 वर्षों तक)	लार्ज परियोजनाएं— 7% अथवा अधिकतम रु० 25 लाख अनुदान मेगा परियोजनाएं— 7% अथवा अधिकतम रु० 35 लाख अनुदान अल्ट्रा मेगा परियोजनाएं— 7% अथवा अधिकतम रु० 50 लाख अनुदान
3	स्टाम्प शुल्क में छूट	भूमि कय/पट्टा विलेख सम्पन्न होने के उपरांत पात्र इकाईयों को स्टाम्प शुल्क के भुगतान पर 50% की छूट
4	भूमि का आवंटन	<ul style="list-style-type: none"> सिडकुल द्वारा प्रचलित दर पर एकल खिडकी निकासी नीति के अंतर्गत भूमि का आवंटन भू-आवंटन के दौरान प्रचलित दरों पर लार्ज परियोजनाओं हेतु 15%, मेगा परियोजनाओं हेतु 25% तथा अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं हेतु 30% की विशेष छूट छूट के उपरांत भूमि प्रीमियम/लागत का

		20% अग्रिम देय जबकि अवशेष धनराशि 7 किस्तों में 7 वर्षों में देय होगी।
5	भूमि पंजीकरण शुल्क	भूमि क़य/पट्टा विलेख पर पंजीकरण शुल्क में छूट जिसके तहत प्रति 1000 मूल्य पर ₹0 1 प्रभार
6	विद्युत शुल्क एवं दर	व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से आगामी 5 वर्षों तक बिना अधोषित विद्युत कटौती के साथ ₹0 1 प्रति यूनिट की दर से छूट दी जायेगी तथा इलेक्ट्रिक ड्यूटी में 100% छूट 5 वर्षों के लिये प्रदान की जायेगी।
7	वेतन-भुगतान सहायता	₹0 500 प्रतिमाह प्रति कर्मचारी (प्रति अतिरिक्त महिला कर्मी हेतु ₹0 700 प्रतिमाह) इस शर्त के साथ कि कुल कर्मचारियों की संख्या 'स्पेशिफाईड थ्रेसहोल्ड ऑफ डायरेक्ट इम्पलाई' की संख्या से दो-गुनी हो। 'अतिरिक्त कर्मचारी' से तात्पर्य कर्मचारियों की संख्या 'स्पेशिफाईड थ्रेसहोल्ड ऑफ डायरेक्ट इम्पलाई' से अधिक होना है।
8	उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्ष तक प्रोत्साहन एवं छूट	<ul style="list-style-type: none"> ● लार्ज प्रोजेक्ट्स: संचालन (ग्राहक तक व्यवसाय की पहुँच) की तिथि से आरम्भिक 5 वर्षों तक इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन उपरांत 30% एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति। ● मेगा प्रोजेक्ट्स- संचालन (ग्राहक तक व्यवसाय की पहुँच) की तिथि से आरम्भिक 5 वर्षों तक इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन उपरांत 50% एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति।



7.3 सार संक्षेप

आशा	एकिडेटिड सोशल हैल्थ एक्टिविस्ट
ए0एस0यू0-एच0	आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी & होम्योपैथी
आयुष	आयुर्वेद, योग & प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा & होम्योपैथी
सी0सी0आर0ए0एस0	सेन्ट्रल काउन्सिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साईंस
सी0सी0आर0एच0	सेन्ट्रल काउन्सिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी
सी0सी0आर0एस0	सेन्ट्रल काउन्सिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा
सी0सी0आर0यू0एम0	सेन्ट्रल काउन्सिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन
सी0डी0	कम्यूनिकेबल डिजीज
सी0एम0ई0	कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन
सी0आर0आई0एच0	सेन्ट्रल रिसर्च ऑफ होम्योपैथी
जी0एम0पी0	गुड मेन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस



जी०ओ०आई०	गवर्मेंट ऑफ इण्डिया
जी०ओ०यू०के०	गवर्मेंट ऑफ उत्तराखण्ड
आई०एस०सी०एस०	लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेगमेंट
एल०एस०जी०आई०	स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थान
एम०एस०एम०ई०	माइक्रो स्माल एंड मीडियम इन्टरप्राइजेज
एम०ओ०टी०	मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म
एन०ए०बी०एच०	नेशनल एक्जिडिशन बोर्ड फॉर हास्पिटल एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स
एन०ए०एम०	नेशनल आयुष मिशन
एन०एच०पी०एस०	नेशनल हेल्थकेयर प्रोटेक्शन स्कीम
एन०सी०डी०	नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज
एन०एम०एम०	नेशनल मेन्यूस्क्रिप्ट मिशन
एन०आर०एच०एम०	नेशनल रूरल हैल्थ मिशन
ओ०पी०	आउट पेशेन्ट
पी०जी०	पोस्ट ग्रेजुएट



पी0एच0सी0	प्राइमरी हैल्थ केयर
पी0पी0पी0	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
आर0 & डी0	रिसर्च एवं डेवलपमेन्ट
आर0आर0आई0	रीजनल रिसर्च इन्सटिट्यूट
आर0एस0बी0वाई0	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
एस0एम0पी0बी0	स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड
एस0आर0आर0आई0	सिद्धा रीजनल रिसर्च इन्सटिट्यूट
एस0आर0एस0	सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम
यू0ए0यू0	उत्तराखण्ड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी
यू0ए0एस0एच0	उत्तराखण्ड आयुष एक्विडिशन स्टेन्डर्ड्स
यू0जी0	अंडर ग्रेजुएट
डब्लू0एच0ओ0	वर्ल्ड हेल्थ आग्रेनाईजेशन्स

UTTARAKHAND AYUSH POLICY 2018



Government of Uttarakhand

Table of Contents

1. Preamble	3
2. Introduction	4
3. Vision	9
4. Objectives	9
5. Strategic Framework & Thrust Areas	9
5.1 Infrastructure Upgradation	10
5.2 AYUSH Programmes	10
5.3 AYUSH Education	12
5.4. Research	13
5.5 Drugs	13
5.6 Investment in AYUSH & Wellness Tourism	14
5.7 Governance	18
5.8 Institutional Mechanism	19
5.9 Regulatory Framework	19
6. Validity	20
7. Annexures	21
7.1 Incentives & Concessions offered under Uttarakhand MSME Policy 2015	21
7.2 Incentives & Concessions offered under Uttarakhand Mega Industrial & Investment Policy 2015	22
7.3 Abbreviations	24

1. Preamble

- 1.1 World Health Organizations (WHO) on realizing the importance of the traditional and ancient system of medicines initiated the scheme for the development of every traditional system of medicine.
- 1.2 Basis the WHO initiatives, Government of India (GoI) has formed the the **Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy (ISM&H)** in March 1995 under the Ministry of Health & Family Welfare with an objective of promoting the Indian systems of medicines & homoeopathy
- 1.3 In order to provide focused attention to development of education and research in Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy systems and other alternative medicine systems, Govt of India has renamed the ISM&H Department to **Department of AYUSH** in March 2003 and thereby elevating to the **Ministry of AYUSH** in November 2014.
- 1.4 The **National Policy on ISM&H adopted in 2002** called for a meaningful phased integration of ISM with health delivery systems which was taken forward by AYUSH Department and as part of the mainstreaming component of AYUSH under the National Rural Health Mission (NRHM). There has been considerable expansion of AYUSH services since then.
- 1.5 The erstwhile Department of AYUSH under the Ministry of Health and Family Welfare has launched **National AYUSH Mission (NAM)** during the 12th Plan for the States / Union Territories (UTs) with the objectives of providing cost effective AYUSH services, upgrading the AYUSH hospitals & dispensaries, co-location of AYUSH facilities at every health centers and hospitals, strengthening institutional capacity and enforcement mechanism, strengthening the research activities, adopting good practices for cultivation of medicinal plants and supply of quality raw materials, development of infrastructure for entrepreneurs and effective marketing and promotion.
- 1.6 Recently Govt of India has launched the **Ayushman Bharat Yojana** which aims to set up 1.5 lakhs wellness centres by 2022 that will leverage on comprehensive primary health care for preventive, promotive and curative care.
- 1.7 The State is blessed with the rich bio-diversity (including rich medicinal and aromatic plants) and its forest area accounts to around 65% of the total area. The State is home to numerous important tourist attractions like The Ganges, religious sites (Char Dham, Haridwar, Rishikesh, Panch Prayag etc.), National



Parks & Wildlife Sanctuaries, hill stations and mountain peaks, lakes, trekking routes etc. drawing 31.78 million tourists in 2016¹.

- 1.8 By blending the natural advantages of its traditional systems of medicines and its tourist attractions, **Govt of Uttarakhand** believes that the state can offer a wide range of ancient and traditional treatments as well as the wellness tourism products and services to become one of the attractive AYUSH destinations.
- 1.9 As a first step, Govt of Uttarakhand has set up the dedicated **Department of AYUSH** in 2010 and proposes to frame the '**Uttarakhand AYUSH Policy 2018**' with an objective of being the preferred **AYUSH treatment and wellness destination state**. The State of Uttarakhand can boast of developing the Department of AYUSH before the Government of India formed the Ministry of AYUSH.
- 1.10 The policy would be on the lines of the national programmes announced by the **Uttarakhand Health & Family Welfare Society** and also the proposed **Uttarakhand Tourism Policy 2018**.
- 1.11 The proposed policy would establish itself as complimentary to all successful health strategies of the state. It would recognize that principles of health care for AYUSH systems of medicines and mainstreaming would involve nurturing the individual systems of medicines through development of infrastructural facilities, setting up of teaching institutions, improving quality control of drugs, capacity building of institutions & professionals, research and public health skills of practical utility and initiating community-based AYUSH interventions for preventive, curative & promotive healthcare.

2. Introduction

- 2.1. Traditional medicine has always maintained its popularity worldwide and the last decades have witnessed an increasing use of complementary and alternative medicines in many developed and developing countries. Popular traditional, complementary and alternative medicine practices include Ayurveda, Homoeopathy, Naturopathy, Yoga, Siddha, Unani, Acupuncture, Babylonian Medicine, Chiropractic, Osteopathy, Tai Chi and Traditional Thai Medicine. It has been researched that 80 per cent of the population of some Asian and African countries presently use herbal medicine for some aspect of primary healthcare².

¹ *India Tourism Statistics 2017; Ministry of Tourism*

² *WHO Global Strategy on Traditional and Alternative Medicine*



- 2.2. India possesses an unmatched heritage represented by its ancient systems of medicine which are a treasure house of knowledge for both preventive and curative healthcare. India is already a preferred destination for medical tourism with significant cost advantage, skilled medical professionals and world-class hospitals coupled with globally differentiated offerings such as Ayurveda and Yoga.
- 2.3. Known for the natural environment of the Himalayas, the Bhabhar and the Terai, **Uttarakhand** has abundant natural resources of hills and forests. Its agro-climatic conditions support horticulture-based industries and made the state home to more than 175 species of rare medicinal, aromatic & herbal plants³.
- 2.4. Uttarakhand is one of the fastest growing states in India, thanks to the massive growth in capital investments arising from conducive industrial policy. The state has close proximity to the national capital Delhi, a leading market of the country and excellent connectivity with neighbouring states in Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana and Punjab.
- 2.5. The state has a strong physical infrastructure, virtual connectivity with over 39,000 km of road network and two domestic airports. In terms of health infrastructure, the state has a good network of hospitals & health centres. The state has 1,918 Sub Centres, 301 Primary health centers (PHCs), 73 Community health centres (CHCs), 47 Sub district hospitals and 21 District hospitals⁴. Recently in the State Budget announcement for 2018-19, the Uttarakhand Government has allocated **Rs 2,286.57 Crore (5% of the total budgetary allocation)** to the Health and Family Welfare and **Rs 302 Crore (0.66% of the total budgetary allocation)** has been allocated to AYUSH and AYUSH Medical Education.
- 2.6. Uttarakhand is also an emerging tourist destination state and has been called as the '**Devbhoomi**' due to the presence of its holy shrines and the origination of the two most holy rives in Ganga and Yamuna. It is home to many ancient temples, forest reserves, national parks, hill stations and mountain peaks. The state has attracted above 30 million tourists in the year 2016.

Socio-Economic and Demographic Profile

Area	53,483 sq.km (19 th largest)
Capital City	Dehradun

³ Uttarakhand State Profile - <http://uk.gov.in/pages/display/115-state-profile>

⁴ As on June 2018



Population (Census 2011)	10.09 million (20 th)
Population Density	189 per sq.km
GSDP in 2017-18 (at current prices)	Rs 2.18 Lakh Crore
Per Capita in 2017-18 (at current prices)	Rs 1.77 Lakh Crore
Human Development Index (2011)	0.515 (7 th rank) against India average of 0.511
Life Expectancy (2010-14)	71.7 years against Indian average of 67.9 years
Literacy rate	79.63% (13 th rank) against India average of 74.04%
Local Bodies in Uttarakhand	<ul style="list-style-type: none"> • Municipal Corporations – 8 • Municipal Councils – 41 • Town Panchayats – 43 • Block Panchayats – 93

Health Indicators

Infant Mortality Rate (SRS 2016)	38 as against Indian average of 37
Maternal Mortality Rate (SRS 2014-16)	201 as against Indian average of 130
Total Fertility Rate (SRS 2016)	1.9 as against Indian average of 2.3
Crude Birth Rate (SRS 2016)	16.6 as against Indian average of 20.4
Crude Death Rate (SRS 2016)	6.7 as against Indian average of 6.4
Sex Ratio (2011)	963 as against Indian average of 940

Health Infrastructure

- 1,918 Sub Centres
- 297 Primary Health Centers (PHCs)
- 70 Community Health Centres (CHCs)
- 27 Sub district hospitals and
- 21 District hospitals

Tourism Profile (2016)

Domestic Tourists	305.05 lakhs (1.89% share)
Foreign Tourists	1.17 lakhs (0.47% share)

Source: Socio-Economic Profile of Uttarakhand & NITI Aayog

- 2.7. Among the AYUSH systems Ayurveda, Yoga & Siddha originated in India, while the other systems Naturopathy, Unani & Homoeopathy emerged in the course of time. AYUSH systems are popular in large number of states and are widely accepted as a holistic, comprehensive, cost effective, bio- friendly and safe system of medicine.
- 2.8. Ayurveda means science of life. It is practiced all over India, in neighboring countries like Sri Lanka, UAE, Nepal and Bangladesh. In most of Indian states modern medicine is practiced along with Ayurveda. Ayurveda is one such

traditional medical system which has been integrated into the daily life of Uttarakhand to yield unparalleled health benefits to the population due to its social and cultural practices.

- 2.9. **Yoga and Naturopathy** are defined as a drugless, non-invasive, rational and evidence based health programme and system of medicine. It forms a complete health care system which emphasize on both healing and prevention through education, self-responsibilities, natural remedies and therapies to support and stimulate the immune system, self-healing processes and maintenance of health.
- 2.10. **Unani** is a form of traditional medicine widely practiced in South Asia. It is one of the eminent branches of alternative medical science in India. Unani is based on the Hippocratic theory of Humours and on the six factors that are responsible for prevention of disease and maintenance of health - atmospheric air, food, water, physical movements and repose, mental activities and repose and evacuation and retention.
- 2.11. **Siddha** is a traditional Dravidian system of medicine mainly practiced in Tamil Nadu and Kerala. This system has a comprehensive approach on the body, mind and the soul in which their products or medicines are manufactured from herbal plants, processed metals, minerals and animal products and byproducts.
- 2.12. **Homoeopathy** has a history of 125 years in India and is classified as a system of complementary medicine in which ailments are treated by minute doses of natural substances.

2.13. Snapshot of AYUSH Infrastructure Facilities in Uttarakhand

System	Units*	Bed	Registered Practitioners	Licenses Pharmacies
Ayurveda	551	2049	3665	281
Yoga & Naturopathy	-	-	-	-
Unani	5	-	162	2
Siddha	-	-	-	-
Homoeopathy	110	-	-	-
Ayurvedic Wings in Allopathic Units	569	-	-	-
Homoeopathic Wings in Allopathic Units	41			

Note: Units include Hospitals, Dispensaries and others



Based on the above table, it can be inferred that Ayurveda dominates the AYUSH systems of medicine handling above 40 lakhs patients in 2017-18. Government Institutes like **Govt. Rishikul Ayurvedic College & Hospital** and **Govt. Gurukul Ayurvedic College & Hospital** both located in Haridwar are the reputed hospitals of Ayurveda in Uttarakhand and have pre-independence existence. Recently, the state has opened 13 private Ayurvedic colleges and hospitals, two Homoeopathic colleges and hospitals in Udham Singh Nagar and Dehradun and one Unani college and hospital in Haridwar

2.14. **Snapshot of AYUSH Educational Institutes in Uttarakhand**

There are 11 National Institutes under Ministry of AYUSH specializing in each system of medicines in India. For instance, **All India Institute of Ayurveda** is located in Delhi, while **National Institute of Siddha**, **National Institute of Homoeopathy**, **National Institute of Unani Medicine** and **National Institute of Naturopathy** are located in Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka and Maharashtra respectively.

The state of Uttarakhand has **Regional Research Institute of Himalayan Flora** under the **Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS)** under the Ministry of AYUSH, Government of India.

Apart from the above, Uttarakhand have 16 Ayurveda (with a seating capacity of 1080 students), 2 Homoeopathy (with a seating capacity of 100 students) and one Unani (60 seating capacity) Under-Graduate (UG) Colleges, 5 Ayurveda Post-Graduate (PG) Colleges with a total seating capacity of 125 students in different discipline and 19 Ayurveda and 4 Unani Paramedical Colleges. The State has a dedicated **Uttarakhand Ayurved University (UAU)** which was established in 2009 in Dehradun as the main campus and the other two campuses at Rishikul and Gurukul situated at Haridwar.

- 2.15. In terms of raw materials and quality of drugs, the state has legacy of rich medicinal plants and rare herbs like *Ativisha*, *Kuth*, *Pushkarmool*, *Jatamansi*, *Meda*, *Mahameda*, *Jeevak*, *Rishabak*, *Vatsnav*, *Salampanja*, etc. The State has the presence of **Herbal Research and Development Institute (HRDI)** in Gopishwar and **Centre for Aromatic Plants** in Dehradun which promote cultivation techniques and the presence of **Indian Medical Pharmaceutical Corporation Ltd (IMPCL)** in Almora and Rishikul State Ayurvedic Pharmacy in Haridwar which involve manufacturing of Ayurvedic and Unani medicines. The state has large presence of GMP certified Ayurveda & Unani Drug manufacturing unit. The state has the State Drug Testing Laboratory in the Rishikul Campus of Haridwar.

2.16. Government of Uttarakhand has provided medical reimbursement schemes as well as in health insurance settlement for AYUSH on par with modern medicine

2.17. By leveraging the strength of AYUSH in Uttarakhand, the state can emerge as popular tourism destination in AYUSH wellness tourism and create opportunities for revenue generation and employment generation through cultivation and propagation of medicinal plants.

3. Vision


To brand Uttarakhand as the preferred AYUSH destination state for health care and tourism

4. Objectives

- To position Uttarakhand as preferred AYUSH wellness destination state in global map
- To establish AYUSH systems of medicine as one of the preferred choice of treatment in primary health care
- To upgrade the existing infrastructure and develop new infrastructure including hospitals and dispensaries
- To improve society health status through concerted policy action in all AYUSH sectors and various health programmes provided by the public health sector by enabling universal access to AYUSH drugs and services
- To create single window clearance for private investments in AYUSH sector
- To provide the quality AYUSH drugs
- To improve production of raw materials for AYUSH drugs

5. Strategic Framework & Thrust Areas

The strategic framework for the development of AYUSH shall be based on the identified thrust areas



5.1 Infrastructure Upgradation

- Govt of Uttarakhand would strive to upgrade the existing infrastructure facilities and develop new infrastructures. The AYUSH infrastructure refers to the Hospitals, Specialty Hospitals, Dispensaries and
- The infrastructure facilities in existing Government Ayurveda Hospitals and Government and Government aided dispensaries would be upgraded to National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH) standards to improve the quality services and augment the patient load. The Govt of Uttarakhand shall also make efforts to introduce the Uttarakhand Accreditation Standards for Health Care (UASH) for AYUSH systems.
- The feasibility of starting Siddha and Naturopathy Hospital in the State would be assessed and started in a phase manner. Based on the patient load, the dispensaries and hospitals would be upgraded to the next higher level.
- Under the Ayushman Bharat Yojana, the wellness centres shall be identified.
- Special Outpatient Department OPD would be introduced based on the study conducted on the disease surveillance in the particular local body.
- AYUSH health care centers would be introduced under government and public sector institutions in places of public interest.

5.2 AYUSH Programmes

- Government shall intervene to enhance or develop AYUSH Health Programmes focusing on **Public Health Care, Tribal Health Care, Palliative Care, Cancer Care, Maternity Care, Child Care, Geriatric Care, Sports Care, Communicable and Non-communicable Diseases and Lifestyle Management.** Sufficient funds would be earmarked for including AYUSH

programmes in health policies and programmes introduced under local bodies within the allocated budget

- **Public Health Care** - Service of AYUSH doctors would be utilized in various aspects of Public Health Service Delivery and various National Disease Control Programmes. The community-based AYUSH interventions would be initiated for preventive and curative healthcare and it would be linked with the local self help groups.
- **Tribal Health Care** - The tribal health care programme can be propagated to nearly 3 lakhs tribal which constitutes about 3% of the Uttarakhand population (based on Census 2011). There are five notified scheduled tribes in the state, namely **Tharu** (found in Udham Singh Nagar, Pauri and Hardwar), **Jaunsari** (Dehradun, Uttarakshi and Tehri), **Buxa** (Dehradun, Nanital, Udham Singh Nagar and Hardwar), **Bhotia** (Almora, Chamoli, Pithoragarh, Bageshwar and Uttarakshi) and **Raji** (Pithoragarh and Champawath). Necessary steps would be taken to provide AYUSH health care to the tribal population by distributing AYUSH medical kits through local self help groups and tribal promoters.
- **Palliative Care** - As the treatment concept of each system of AYUSH encompasses curative, preventive and supportive therapies, the palliative care programme would be extended across the state by ensuring the participation of the local bodies
- **Cancer Care** - State level propagation programme for cancer awareness, early detection, prevention and treatment would be conducted based on the strengths of each system of AYUSH. Awareness programme on Ayurveda diet regime, Yoga practices and Naturopathic life style would be introduced for the prevention of Cancer. AYUSH Cancer Treatment Centre would be started and an integrated protocol for management of cancer would be developed.
- **Maternity Care** - AYUSH Maternity Awareness Program would be conducted to provide holistic care to the expectant mothers in promoting natural birthing, benefits of pre-natal and post natal care and counseling on natural diet and lifestyle through yoga & naturopathy.
- **Child Care** - Pediatric Healthcare Programmes would be introduced which would include distribution of child health care kit and awareness programmes aimed at developing healthy lifestyle.
- **Geriatric Care** - Special programmes would be introduced for the management of old age problems based on the strengths of each AYUSH systems through dispensaries and hospitals.

- **Sports Care** - Siddha Varma Therapy would be introduced for treating sports injuries considering the Siddha treatment scope in healing injuries to the energy points in the body. The modalities of Yoga & Naturopathy would be explored in National Sports Institutes.
- **Communicable Diseases** - An integrated AYUSH programme would be launched for the effective control, prevention and management of communicable diseases by introducing AYUSH regional communicable disease prevention programme where recurrent communicable disease outbreaks are noted.
- **Non-Communicable Diseases** - Separate program for prevention of lifestyle diseases would be conducted by integrating the role of each systems of AYUSH in all districts. Yoga & Naturopathy clinics would be integrated with the existing AYUSH hospitals and clinics for management of non communicable diseases
- **Lifestyle Management** - The state government would facilitate in conducting an integrated programme on lifestyle diseases management and prevention through public health activities. Various programmes like the '*Ayushmabhava*' the state-level programme to treat the lifestyle diseases shall be introduced to all AYUSH Hospitals and the knowledge of '*Science Of Healthy Living*' shall be propagated to the public domain. De-addiction specialty clinic would be introduced by leveraging the strengths of Ayurveda and Homoeopathy. A joint AYUSH Fertility Centre and Intervention Programme would be launched to reduce the causes for high incidence of infertility

5.3 AYUSH Education

- Strong focus would be given on AYUSH in Medical Education, School Education and Paramedical Education
- **Medical Education** - Government of Uttarakhand shall establish **AYUSH University** by upgrading the existing **Faculty Uttarakhand Ayurved University (UAU)** in Dehradun to enhance the quality of AYUSH education in the state. Different streams of AYUSH Medical Colleges with UG, PG and PhD Programmes would be augmented d based on the feasibility study and post graduate, post graduate diploma courses and doctoral programme in all recognized disciplines to promote specialty health care. Feasibility of starting an **All India Institute of different AYUSH System and thereby the Centre of Excellence** under Central Govt. Schemes would be assessed based on the needs.

- **School Education** - AYUSH subjects including yoga would be incorporated in various levels of school syllabi.
- **Paramedical Education** - The diploma and degree programme in pharmacy, panchkarma therapy, AYUSH nursing and other specialized courses in AYUSH would be strengthened.
- **Capacity Building** - Efforts would be taken to update the practitioners and paramedics on new research and scientific method of treatment and medicinal plants in all systems of medicine through **Continuous Medical Education (CME) programmes** and reorientation programmes. Key institutions with national and international collaboration would be developed for giving proper training to practitioners, educationalist, researchers and students from different systems of medicines.
- **Certification Course** in all streams of AYUSH, Wellness and others shall be introduced for accreditation.

5.4. Research

- **Academic Research** - The department had sanctioned **Charak International Research Institute of AYUSH** to be setup in Kotdwar (*District - Pauri, Garhwal*) which will act as meaningful interface between the research institution, academy and industry to translate research outcomes for public use and to bridge the knowledge gaps.
- **Clinical Research** - Grant would be provided for research projects focusing on the efficacy of AYUSH system in public health care programme.
- **Drug Research** - An inter-disciplinary research centre with international standards would be established to scientifically revalidate the classical products and development of new products. The above **Charak International Research Institute of AYUSH** shall include the Drug Research.
- **Extra Mural Research** - Extra Mural Research Projects on AYUSH would be developed aimed at developing the opportunity for scientific scrutiny of AYUSH system for the benefit of users, researchers, practitioners, industries & common people at large.

5.5 Drugs

- **Raw Materials** - Medicinal Plant nurseries would be established in all AYUSH educational institutions & hospitals with necessary assistance from the. Steps would be taken to grow herbal garden and to cultivate sufficient medicinal plants in public premises. Govt of Uttarakhand would initiate activities with the assistance from Herbal Research and Development Institute (HRDI), Local Bodies, Forest and Wildlife Department and State and Central Medicinal Plant Boards to protect the endangered medicinal flora and

fauna. Subsidies would be provided for the cultivation of rare medicinal plants and herbs as per the guidelines of National AYUSH Mission. Forward linkages shall be adopted to motivate the farmers to cultivate the medicinal crops.

- **Drug Manufacturing** - The existing Rishikul State Ayurvedic Pharmacy in Haridwar shall be strengthened in terms of infrastructure, equipments and manpower. The self sustaining model shall be adopted to the Rishikul State Ayurvedic Pharmacy for in-house and market supply. Measures would be taken to include more GMP certified Ayurveda & Unani drug manufacturing unit to ensure uninterrupted supply of drugs with the aim of providing high quality medicaments to the public health initiatives in the state.
- **Quality Assurances & Control** - A stringent monitoring mechanism for licensing of the raw material dealers would be adopted to ensure the quality of raw materials. Govt of Uttarakhand would strengthen the existing **Govt Drug Testing Laboratory** with necessary manpower and testing facilities.

5.6 Investment in AYUSH & Wellness Tourism

- Government of Uttarakhand shall take concerted efforts to attract private investment and augment private sector projects in AYUSH which is one of the focus sectors. Activities like development / upgradation of AYUSH healthcare infrastructure, AYUSH wellness tourism and AYUSH drug manufacturing shall be carried out through the private investment as per the eligible schemes laid out by the Central and State Government.
- **Key AYUSH investible projects / activities** for private investment including through PPP are identified and categorized as below

A. Wellness-based AYUSH Projects

- 1) **AYUSH Township** shall be planned for the development of Uttarakhand Health Tourism and Organic Cultivation related activities. The project shall be proposed as international level Herbal and AYUSH Tourist Hub in the State. The township shall have features like Yoga, Ayurveda and Naturopathy Centre, eco-friendly environment for tourism activities, physiotherapy centre and gymnasium, goshala for indigenous and Himalayan breed cattles, herbal garden, nursery for medicinal and aromatic plants, organic food facility, agriculture, horticulture, floriculture and organic farming zones, studio apartments and villas, space for establishment of wellness / treatment centres, landscaping and other infrastructure amenities such as parking, helipads and retail outlets.
- 2) **AYUSH Gram** shall focus on establishing a centre for wellness where consultation and treatment by AYUSH system shall be available along

with Yoga with indoor facility. Private investors will be invited to establish AYUSH gram in the state, primarily AYUSH gram are proposed under PPP Mode at Uttarkashi, Champawat, Pithoragarh, Tehri and Chamoli where lands are available with the department.

- 3) **Yoga Gram / Centre** shall focus on developing the state of art, Yoga and meditation centre added with herbal gardens at various suitable places in the state. Primarily Yoga Gram are proposed under PPP Mode in Almora, Tehri, Jageshwar, Uttarkashi, Champawat and Pithoragarh where lands are available with the department.
- 4) **AYUSH Wellness Resort** shall be proposed at the select locations where Panchkarma, Yoga and Naturopathy based treatment provided. Besides Haridwar and Rishikesh the main focus area will be in Kumaon and Garhwal Mandal near hill stations, religious places and on the Char Dham Yatra Route.
- 5) **Homestays** - Existing homestays shall be assessed & upgraded with Panchkarma Treatment, Yogas and other AYUSH services.

B. Healthcare-based AYUSH Projects

- 1) **Disease Based Hospitals:** Dept of AYUSH shall explore letting out its available Hospitals in Dehradun, Tehri, Pauri, Uttarkashi and Pithoragarh to be developed into disease based hospitals on PPP mode, catering to requirements of specific diseases.
- 2) **50-Bedded Hospitals** - An integrated 50 bedded AYUSH hospital is under construction at Haldwani (in Nainital district) which will cater to larger society of nearby districts. The Department shall explore its O&M through PPP mode, and also plans to develop similar capacity hospitals in other districts of Uttarakhand on PPP mode.

C. Manufacturing-based AYUSH Projects - This include the projects for the development of **AYUSH Drug Manufacturing Units and Pharmacies**.

Dept of AYUSH shall maintain the list of investible projects and shall be updated in this policy for incentives and subsidy benefits.

The above projects defined shall be developed either in a full-fledged manner or in a phased manner depending on the feasibility of the projects.

- **Eligible Schemes for Identified Projects-** Government of Uttarakhand shall provide financial assistance (capital incentives, interest subsidies, GST reimbursements, stamp duty exemptions) through **Uttarakhand MSME Policy 2015, Mega Industrial and Investment Policy 2015 and Uttarakhand Tourism Policy 2018**. Department of AYUSH shall make necessary provisions

/ financial assistance within their state budgets (which do not fall in the eligible criteria of Uttarakhand MSME Policy 2015, Mega Industrial and Investment Policy 2015 and Uttarakhand Tourism Policy 2018). The defined activities and the financial support under each policies are tabulated as below

A. Uttarakhand MSME Policy 2015 (Less than Rs 10 Cr investment)

A.1. Categorization of Regions for quantum of incentives / subsidies

Category	Regions Included
Category A	<ul style="list-style-type: none"> Whole Districts of Pithoragrah, Uttarkashi, Chamoli, Champawat, Rudraprayag and Bageshwar
Category B	<ul style="list-style-type: none"> Whole Districts of Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, Almora All hilly development blocks of District Dehradun other than Vikasnagar, Doiwala, Sahaspur and Rajpur. All hilly development blocks of District Nainital other than Haldwani and Ramnagar
Category C	<ul style="list-style-type: none"> Regions located above 650 mtrs from sea level of Raipur, Sahaspur, Vikasnagar and Doiwala development blocks of District Dehradun. Ramnagar and Haldwani development blocks of District Nainital.
Category D	<ul style="list-style-type: none"> Whole Districts of Haridwar and UdhamSingh Nagar Remaining area of District Dehradun and Nainital (which are not included in category 'B' and 'C').

A.2. Activities / Projects Eligible for Fiscal Incentives

- 1) Non-polluting manufacturing enterprises of green and orange category (e.g. pharmaceuticals formulation) in Category A & B
- 2) Activities which have been granted status of industry by the State Government (e.g. farming and tourism activities) in Category A & B
- 3) Wellness Resorts in Category A & B
- 4) Hospitals in Category A & B
- 5) Paramedical Institute in Category A & B
- 6) Only manufacturing activities shall be eligible in Category C & D

A.3. Available Incentives & Subsidies

- 1) **Capital Subsidy** - 15%-40% for various categories (maximum cap of Rs 15.00 lakhs to Rs 40.00 lakhs)
- 2) **Interest Subsidy** - 0%-10% for various categories (upto Rs 8

lakh/year/unit)

3) **Stamp Duty Concession** – 50%-100%

A.4. Infrastructural & Institutional Support

1) Establishment of Land Bank

2) Single Window Facilitation and Clearance Act

Refer Annexure 7.1 for the detailed incentives and concessions under Uttarakhand MSME Policy 2015

B. Mega Industrial and Investment Policy 2015

B.1. Categorization based on investment of projects

Category	Regions Included
Large Projects	Capital Investment from Rs 50-75 Crore
Mega Projects	Capital Investment from Rs 75-200 Crore
Ultra Mega Projects	Capital Investment of Rs 200 Crore and above

B.2. Activities / Projects Eligible for Fiscal Incentives

1) AYUSH Drug Manufacturing Unit

B.3. Available Incentives & Subsidies

1) **Capital Subsidy** – 15% or maximum of INR 30 Lacks for Large/ Mega units

2) **Interest Subsidy** – 7% (upto Rs 50 lakh)

3) **Stamp Duty Concession** – 50%

4) **Allotment of Land** - Allotment of land by SIDCUL under Single Window Policy as per the prevailing rates

Refer Annexure 7.2 for the detailed incentives and concessions under Uttarakhand Mega Industrial & Investment Policy 2015

C. Uttarakhand Tourism Policy 2018 (Investment of above Rs 50 Cr)

Dept of Tourism shall provide the applicable financial assistance like incentives / reimbursements / subsidies to the eligible projects while Dept of AYUSH shall provide the necessary technical support / assistance.

C.1. Categorization of districts

Category	Districts Included
Category A	Pithoragrah, Uttarkashi, Chamoli, Pauri, Tehri Garhwal, Almora, Champawat, Rudraprayag and Bageshwar
Category B	Udham Singh Nagar, Nainital, , Dehradun and Haridwar



C.2. Activities / Projects Eligible for Fiscal Incentives

- 1) AYUSH Gram / Cluster
- 2) Yoga Gram / Centre
- 3) AYUSH Wellness Resort
- 4) Homestays

C.3. Available Incentives & Subsidies (Please refer Uttarakhand Tourism Policy 2018)

- **Uttarakhand AYUSH Policy – Incentives**
- In addition to the incentives / reimbursements / grants of MSME Policy, Mega Industrial & Investment Policy of State Government and Uttarakhand Tourism Policy, the Deptt. of AYUSH, besides the Govt. of India's subsidy of 30% that may capped upto Rs. 5 Crore for each project under plant, machinery and building head, shall provide one time financial assistance of 10% or 1.50 Crore for hill districts and Rs. 1.00 Crore for plains district in addition to 30% of total projects cost under same head from its departmental budget.
- Department of AYUSH shall set up an **Investment Facilitation Desk (IFD)** to provide necessary information on the list of investible tourism projects, shelf of each tourism projects, available infrastructure such as land and physical infrastructure and the various incentive schemes and opportunities available to make convenient for investors to take investment decisions. The IFD shall also conduct regular summit / conference and also ensure AYUSH participation in the Global Investment Summit. The board members shall be formed and the Director of AYUSH / Designated Officers shall be the nodal officer of the Investment Facilitation Desk. A Help Desk will be set up at the office of the Department of AYUSH

5.7 Governance

- Government of Uttarakhand would make efforts to provide the public with right of choice of treatment through its efforts in co-location of AYUSH infrastructure and manpower in public health facilities.
- The state government would implement equal status and parity among doctors of different systems in the state.



- Uttarakhand Accreditation Standards for Health Care (UASH) shall be introduced for AYUSH systems
- Uttarakhand Govt would establish AYUSH holistic treatment centers throughout the state to ensure maximum utilization of the uniqueness of each of the treatment system by healthy cross-referral systems
- Budgetary Allocations for AYUSH Department would be enhanced to 2% of the total state budget.
- Steps would be taken to support setting up of clusters through convergence of cultivation, warehousing, value addition and marketing and development of infrastructure for entrepreneurs
- The government will take efforts to cover the secondary and tertiary care of AYUSH under the National Healthcare Protection Scheme (NHPS) as announced recently by the Govt of India.
- AYUSH treatment would be included in Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY) schemes and in all future health related schemes.

5.8 Institutional Mechanism

- The institutional capacity would be enhanced by strengthening the Department of AYUSH, Uttarakhand National AYUSH Mission, Directorate of Ayurveda and Unani, Uttarakhand Ayurved University and Govt Drug Testing Laboratory.
- One year rural compulsory posting would be ensured for interneers in order to get effective exposure in primary health care and norms would be introduced for compulsory serving in the Ayurveda & Homoeopathy institutions for the doctors who have completed MBBS& PG program through Ayurveda and Homoeopathy quota.
- Formation of AYUSH Task Force and Surveillance team for the management of Epidemic diseases affecting the community
- Steps would be taken to institutionalize the successful departmental programmes by strengthening the required manpower and infrastructure.

5.9 Regulatory Framework

- Single - window clearance would be provided for approvals to commission hospitals, tax breaks and annuity - based financing for setting up hospitals / dispensaries and for start ups and running of AYUSH manufacturing firms.
- Educational practices and institutions in AYUSH would be sufficiently controlled and regulated to ensure quality in education and research.
- Steps would be taken to introduce bills to prevent quackery in the AYUSH system of medicines and to regulate private practitioners and treatment centers.

- Implementation of Medical Practitioners Act (Bill) for AYUSH practitioners in Uttarakhand

6. Validity

The policy would be effective for 5 years from 2018.

7. Annexures

7.1 Incentives & Concessions offered under Uttarakhand MSME Policy 2015

#	Particulars	Category A	Category B	Category B+	Category C	Category D
1	Capital Subsidy to new tourism units	40% (Max. up to INR 40 Lakh)*	35% (Max. up to INR 35 Lakh)*	35% (Max. up to INR 35 Lakh)*	30% (Max. up to INR 30 Lakh)	15% (Max. up to INR 15 Lakh)*
2	Interest Subsidy to new tourism units (for first 3 years)	10% (Maximum up to INR 8 Lakh/yr/unit)	8% (Maximum up to INR 6 Lakh/yr/unit)	8% (Maximum up to INR 6 Lakh/yr/unit)	6% (Maximum up to INR 4 Lakh/yr/unit)	Nil
3	Stamp Duty Concession	100%	100%	100%	100%	50%
4	Tax Incentives (GST)	50 % SGST reimbursement for first 3 years of operation	50 % SGST reimbursement for first 3 years of operation	50 % SGST reimbursement for first 3 years of operation	Nil	Nil
5	Electricity Duty & Rate	As per industrial tariff	As per industrial tariff	As per industrial tariff	As per industrial tariff	As per industrial tariff

7.2 Incentives & Concessions offered under Uttarakhand Mega Industrial & Investment Policy 2015

#	Parameters	Descriptions
1.	Capital Subsidy to new tourism units	15% or maximum of INR 50 Lacks for units under MSME sector and 15% or maximum of INR 30 Lacks for Large/ Mega units
2.	Interest Subsidy to new tourism units (for next 5 years from commencement of commercial production)	<p>Large Projects - 7% or Maximum Subsidy of INR 25 Lakh.</p> <p>Mega Projects - 7% or Maximum Subsidy of INR 35 Lakh.</p> <p>Ultra Mega Projects - 7% or Maximum Subsidy of INR 50 Lakh</p>
3.	Stamp Duty Concession	50% exemption on payment of stamp duty for eligible units on execution of Land Purchase/ Lease Deed.
4.	Allotment of Land	<ul style="list-style-type: none"> Allotment of land by SIDCUL under Single Window Policy as per the prevailing rates. Special discount/ exemption of 15% to Large Projects, 25% to Mega Projects and 30% to Ultra Mega Projects on prevailing rate during land allotment 20% of land premium/ price after exemption/ discount would be payable upfront and rest amount with interest in equal instalments for next 7 years
5.	Land Registration Fee	Concession in Registration Fee of Land Purchase/ Lease Deed by charging INR 1 Re for each INR 1000 Rs value.
6.	Electricity Duty & Rate	Concession of INR 1 Re per unit on electricity units consumed with no undeclared power cuts for next 5 years from commencement of commercial production. 100% exemption on payment of electricity duty for next 5 years from commencement of commercial production.
7.	Payroll assistance	INR 500 per month per additional employee



		(INR 700 per month per additional women employee), provided total number of employees exceed at least 2 times of "Specified Threshold of Direct Employees". Additional employee means number of employees exceeding "Special Threshold of Direct Employees".
7.	Incentives and concession for first 5 years from date of production	<ul style="list-style-type: none">• Large Projects: 30% of SGST reimbursement for first 5 years from date of operations (Business to Customer) after adjusting input tax credit.• Mega Projects: 50% SGST reimbursement for first 5 years from date of operations (Business to Customer) after adjusting input tax credit.

7.3 Abbreviations

ASHA	Accredited Social Health Activists
ASU&H	Ayurveda, Siddha, Unani & Homoeopathy
AYUSH	Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha & Homoeopathy
CCRAS	Central Council for Research in Ayurvedic Science
CCRH	Central Council for Research in Homoeopathy
CCRS	Central Council for Research in Siddha
CCRUM	Central Council for Research in Unani Medicine
CD	Communicable Diseases
CME	Continuous Medical Education
CRIH	Central Research Institute of Homoeopathy
GMP	Good Manufacturing Practice
Gol	Government of India
GoUK	Government of Uttarakhand
LSCS	Lower Segment Caesarian Section
LSGI	Local Self Government Institution
MSME	Micro, Small and Medium Enterprises
MoT	Ministry of Tourism
NABH	National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers
NAM	National AYUSH Mission
NHPS	National Healthcare Protection Scheme
NCD	Non Communicable Diseases
NMM	National Manuscript Mission
NRHM	National Rural Health Mission
OP	Out-patient



PG	Post Graduate
PHC	Primary Health Care
PPP	Public Private Partnership
R&D	Research & Department
RRI	Regional Research Institute
RSBY	Rashtriya Swasthya Bima Yojna
SMPB	State Medicinal Plant Board
SRRI	Siddha Regional Research Institute
SRS	Sample Registration System
UAU	Uttarakhand Ayurved University
UASH	Uttarakhand AYUSH Accreditation Standards
UG	Under Graduate
WHO	World Health Organizations